न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 172/2020
GCMS NO. : 2020/00323

–:: प्रार्थी ::– बनाम –:: अप्रार्थीगण ::–

प्रार्थी:

1. मालाराम पुत्र धन्नाराम
2. दुर्गाराम पुत्र धन्नाराम
   जातियान– देवासी, निवासीगण– खराड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।

अप्रार्थीगण:

1. धन्नाराम पुत्र बगाराम
   जाति– देवासी, निवासी– खराडी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राज.)
2. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी महोदय, जैतारण, जिला पाली, राजस्थान।
3. आदूराम पुत्र धन्नाराम
4. भीकाराम पुत्र धन्नाराम
5. घासीराम पुत्र धन्नाराम
6. विष्णु पुत्र धन्नाराम
   जातियान– देवासी, निवासीगण– खराड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राज.)
   नोटः– गैरसायलान् संख्या 3 से 6 परफोर्मा पक्षकार हैं।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजूः 21/12/2020**

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी,श्री किशोर कुमार कुमावत, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया,श्री राजुराम कुमावत, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 31/05/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा खराड़ी पटवार हल्का डिगरना भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निम्बोल तहसील जैतारण पाली राज0 में सायलान की पैतृक पुश्तैनी सम्पति व गैरसायलान् संख्या 1 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 107 रकबा 11–16 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 145 रकबा 09–18 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी में गैरसायलान संख्या 1 रेकर्डेड खातेदार है एवं उपरोक्त वर्णित आराजी में सायलान अपने हि[illegible]सार काबिज है। नकल जमाबन्दी प्रार्थनापत्र के साथ पेश हैं। उप[illegible] व गैरसायलान संख्या 1की पैतृक पुश्तैनी सम्पति है। [illegible]मेन्ट में सायला[illegible] दादा एवं गैरसायलान संख्या 1 के पिता बगाराम के नाम [illegible]जस्व रेकर्ड में इन्द्र[illegible] एवं मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

पर उनका कब्जा था तथा उनके फौत होने के पश्चात उपरोक्त वर्णित आराजी बगाराम जी के वारिसान के नाम बतौर फौतेदगी म्युटेशन के इन्द्राज के हुई थी सायलान एवं गैरसायलान संख्या 1 एक ही वंशज के उत्तराधिकारी एवं वारिस है। प्रस्तुत वंश वृक्षावली से यह स्पष्ट है कि सायलान व गैरसायलान संख्या 1 बगाराम जी के उत्तराधिकारी एवं वारिस होने से वादग्रस्त सम्पति में सायलान का बाई बर्थ अर्थात् जन्मत हक व अधिकार है तथा गैरसायलान संख्या 1 को उपरोक्त पैतृक पुश्तैनी सम्पति को मात्र उपयोग उपभोग करने का हक अधिकार है क्योंकि सायलान का उक्त पैतृक पुश्तैनी सम्पति में धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म लेते ही उनका इस सम्पति में स्वतः ही हक अधिकार निहित हो जाते है तथा वादग्रस्त सम्पति पैतृक पुश्तैनी होने से गैरसायलान संख्या 1 को उक्त आराजी का उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है न कि रहन बेचान बक्सीस करने का। बगाराम जी के फौत होने के पश्चात मात्र गैरसायलान् संख्या 1 पुत्र होने से उनका नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ जबकि कानूनन वादग्रस्त सम्पति में सायलान का भी हक हिस्सा व बंट की भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी होने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद घोषणा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी जो कि सायलान की पैतृक पुश्तैनी सम्पति है और मौके पर सायलान अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं लेकिन गैरसायलान संख्या 1 सायलान को उनकी पैतृक पुश्तैनी सम्पति से वंचित रखने की नियत से गैरसायलान संख्या 6 विष्णु के बहकावट व सिखावट में आकर वादग्रस्त सम्पति को किसी अन्य को रहन बेचान व हस्तान्तरण करने पर अमादा है जबकि कानूनन गैरसायलान संख्या 1 को ऐसा गैरकानूनी कृत्य करने का कोई हक अधिकार नही हैं क्योकि वादग्रस्त सम्पति में गैरसायलान संख्या 1 के साथ सायलान का भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हक व अधिकार हैं परन्तु गैरसायलान संख्या 1 मात्र राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज होने का फायदा उठाकर उक्त सम्पति को बचेान करने पर आमादा है और यदि गैरसायलान संख्या 1 अपने इन गैरकानूनी मंसूबो में कामयाब हो जाता है और वादग्रस्त पैतृक पुश्तैनी सम्पति को केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज होने के आधार पर बैचान कर देते है एवं सायलान को उनके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देते है तो सायलान अपने साम्पतिक हक अधिकारो से महरुम हो जायेगे एवं भूमिहीन हो जायेगे जबकि सायलान के जीवनयापन का एक मात्र जरिया उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि है और यदि गैरसायलान संख्या 1 इस जमीन को भी हस्तान्तरित कर देते है तो सायलान के पास अपने जीवनयापन का कोई स्त्रोत नही बचेगा एवं सायलान के पास अपने जीवनयापन का कोई स्त्रोत नही बचेगा एवं सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति का आंकलन रुपयो में भी नही किया जा सकेगा इसलिए सायलान के पास कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। वादग्रस्त सम्पति जो कि सायलान की पैतृक पुश्तैनी सम्पति है तथा उक्त सम्पति गैरसायलान संख्या 1 को उनके पिता बगाराम के फौत होने के पश्चात जरिए फौतेदगी म्युटेशन के विरासत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नैनवा, जिला-बून्दी

में प्राप्त हुई तथा उक्त सम्पति गैरसायलान संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति नही होकर के पुश्तैनी सम्पति है जिसका केवल मात्र उपयोग उपभोग करने का हक अधिकार गैरसायलान संख्या 1 को है तथा उक्त वादग्रस्त सम्पति को गैरसायलान संख्या 1 को किसी अन्य को रहन बेचान बक्सीस हस्तानतरण करने व खूर्द बूर्द करने का एवं सायलान को उनके हक हिस्से से बेदखल करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। परन्तु फिर भी गैरसायलान संख्या 1 उक्त सम्पति को बेचान करने पर आमादा है। क्योकि गैरसायलान संख्या 1 ने इससे पूर्व खसरा संख्या 821 व 822 जो कि पैतृक पुश्तैनी सम्पति थी को भी बेचान कर दिया एवं अब यह शेष बची वादग्रस्त सम्पति को भी बेचान करने पर आमादा है और यदि गैरसायलान संख्या 1 अपने इन गैरकानूनी मंसुबो में कामयाब हो जाता है और शेष बची वादग्रस्त सम्पति को भी बेचान कर देते है तो सायलान के परिवार व स्वंय के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी क्योंकि वादग्रस्त सम्पति के अलावा सायलान के पास अन्य कोई सम्पति नहीं है। इसलिए सायलान के पास अपनी पैतृक पुश्तैनी सम्पति की सुरक्षार्थ न्यायालय के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना-पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। सायलान वादग्रस्त सम्पति में आने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है तथा सायलान को जब खसरा नम्बर 821 व 822 की आराजी का गैरसायलान संख्या 1 द्वारा बेचान करने की जानकारी हुई तो सायलान ने प्रतिवादगण संख्या 1 को शेष बची आराजी में उनका भी अपने हक हिस्से अनुसार नाम इन्द्राज करवाने का दिनांक 07.12.2020 को निवेदन किया तो गैरसायलान संख्या 1 ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया एवं एलानिया धमकी दी कि शेष बची सम्पूर्ण आराजी को भी वह बेचान करेगा तथा गैरसायलान संख्या 1 से समझाईश की परन्तु फिर भी गैरसायलान संख्या 1 नहीं माना एवं शेष बची आराजी को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि करने की जिद्द पर अड़े रहे और यदि गैरसायलान संख्या 1 अपने इन गैरकानूनी मंसुबो में कामयाब हो जाता है और शेष बची वादग्रस्त सम्पति को बेचान कर देते हैं एवं सायलान को मौके से बेदखल कर देते है तो सायलान अपने जायज हक अधिकारो से हमेशा के लिए हमरूम हो जायेगें एवं सायलान को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी एवं सायलान गैरसायलान संख्या 1 द्वारा किए जा रहे गैरकानूनी कृत्यों का मौके पर विरोध करेंगे तो मौके पर विवाद बढेगा एवं मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स बढेगी तथा विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी एवं पेचीदगिया बढेगी इसलिए सायलान इन तमाम परिस्थितियों से बचने के लिए अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना-पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष पेश है। यह कि तथ्यों, परिस्थितियों एवं दस्तावेजात तथा सायलान के अपने हक हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में प्रमाणित है यदि गैरसायलान संख्या 1 आराजी को किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देता है एवं सायलान को उनके कब्जे से बेदखल कर देता है तो सायलान को अपूर्णिया क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

नहीं होगी एवं सायलान अपने पैतृक पुश्तैनी जायज हक हकूको एवं अधिकारों से हमेशा-हमेशा के लिए महरूम हो जाएगें तथा गैरसायलान द्वारा किए जा रहे गैरकानूनी कृत्यों का सायल मौके पर विरोध करेंगे तो लडाई झगड़ा टन्टा फसाद होगा एवं विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी पेचीदगिया बढेगी इसलिए गैरसायलान द्वारा किए जा रहे गैरकानूनी कृत्यो को रोके जाने बाबत् यह प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष सादर पेश है।

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान् को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल संख्या 1 तथा 6 द्वारा वकालतनामा पेश हुआ जो सा०मि० है। गैरसायल संख्या 03 से 05 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। गैरसायलान संख्या 01 तथा 06 ने जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया जो सा०मि० है। गैरसायलान संख्या 01 तथा 06 ने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक का जबाव है कि सरहद मौजा खराडी में सायलान द्वारा इस पद में बताई कृषि भूमि पैतृक पुश्तैनी होने के कथन गलत व झूठे अंकित किए है जबकि खसरा संख्या 107 रकबा 11-16 बीघा गैरसायल संख्या 1 द्वारा क्रय की गयी भूमि है जो जरिए म्युटेशन संख्या 385 के द्वारा जमाबंदी संवत 2029 से 2032 में दर्ज है खसरा संख्या 145 रकबा 09-18 बीघा कृषि भूमि का भी एकमात्र खातेदार काश्तकार व कब्जाकाश्त है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पैतृक पुश्तैनी नही होकर गैरसायल संख्या 1 की स्वअर्जित है जिसमें सायलान का कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि सायलान की पैतृक पुश्तैनी होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। इस पद में वादीगण द्वारा वृक्ष वंशावली सायलान अपने दौरान प्रस्तुत तथा वंशावली से वाद में वर्णित कृषि भूमि में सायलान का किसी का हक व अधिकार नही बनाता है। सायल द्वारा प्रस्तुत वृक्ष वंशावली भी गलत है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का एकमात्र खातेदार काश्तकार व कब्जाकाश्त उत्तरदाता गैरसायल का है। जिसमें गैरसायल संख्या 1 के जीवनकाल में सायलान को उनकी आराजी में कोई हक व अधिकार नही मिलते है गैरसायल संख्या 1 वृद्ध व्यक्ति होकर अस्थमा बिमारी से भी ग्रसित है जिनके भरण पोषण करने हेतू इस कृषि भूमि के अलावा आय का कोई जरिया नही है। सायलान ने गैरसायल संख्या 1 की कभी भी भरण पोषण सेवा चाकरी बिमारी आदि में कोई सेवा नही की तथा न ही गैरसायल की पुत्री का व अन्य सामाजिक आयोजन में कोई रकम आदि भी नही दी है। इसलिए भी सायलान प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र में दर्ज कथन गलत है उक्त भूमि पैतृक पुश्तैनी आराजी नही होकर गैरसायल की स्वअर्जित आराजी होने से अपनी कृषि भूमि अपनी इच्छा उपयोग उपभोग करने बैचान हस्तान्तरण करने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। सायलान का प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में कोई हक अधिकार ही नही है। तो बेदखल करने के कथन भी स्वतः ही

Signature Not Verified
Digitally Signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

खारिज होने योग्य है। अन्य कथन गलत होने से उत्तरदाता गैरसायल नामंजुर करता है। सायलान गैरसायलान के विरूद्ध घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 5 में दर्ज कथन गलत होने से अस्वीकार है खसरा संख्या 821 व 822 की भूमि को गैरसायल संख्या 1 के सायलान व गैरसायलान संख्या 3 से 6 व एक पुत्री इस प्रकार कुल वारिसान 7 होने से उनकी शादीया तथा अन्य पारिवारिक कार्यो में रकम की आवश्यकता होने पर अन्य व्यक्तियो द्वारा लिए कर्ज को चुकाने के लिए भूमि का बेचान किया जो जरूरी था, अन्यथा गैरसायल की बाजार में इज्जत धुमिल खराब हो जाती। उक्त प्रकरण सायलान ने उत्तरदाता गैरसायल को तंग व परेशान व खर्चे से जेर बार करने की नियत से किया गया है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 6 में दर्ज कथनो का जवाब है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के सायलान न तो खातेदार काश्त है तथा नही मौके पर कब्जा काश्त है तथा न ही कब्जे बाबत् कोई दस्तावेज पेश किया है इस कारण सायलान के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया मामला है न सुविधा का संतुलन है। जब प्रार्थना पत्र के दोनो घटक पक्ष में नही है तो सायलान को हानि होने का कोई प्रश्न पैदा नही होता है। उत्तरदाता गैरसायल अपनी कृषि भूमि को अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने इसलिए सायलान गैरसायलान के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रारिथति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

(01) प्रथम दृष्टया मामला :- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम खराड़ी में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 107 रकबा 11-16 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 145 रकबा 09-18 बीघा किस्म बारानी दोयम जो कि प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 धन्नाराम के नाम दर्ज है जो कि प्रार्थी के पिता को पैतृक पुश्तैनी विरासतन प्राप्त होने के आधार पर प्रार्थीगण पुत्रो द्वारा पिता के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी में जन्म से निहित अपने खातेदारी हक हिस्से के अधिकारो की घोषणा हेतू वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा हेतू प्रार्थना पत्र पेश किया जो जैरकार है। प्रार्थी ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट में प्रार्थी के दादा बग्गाराम के नाम दर्ज थी। जो विरासतन पिता धन्नाराम को प्राप्त हुई। तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 से 6 अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र है। अतः प्रार्थीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या [illegible] से 6 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा [illegible] रकबा 11-16 बीघा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा क्रय की गई अर्जित सम्पति है जो कि पैतृक पुश्तैनी नही है तथा खसरा संख्या 145 रकबा 09-18 बीघा का भी अप्रार्थी संख्या 1 एकमात्र खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वंश वंशावली गलत है। प्रार्थीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

अप्रार्थी संख्या 1 की एक पुत्री को पक्षकार नही बनाया गया है इस प्रकार कुल 7 वारिसान है। अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 107 की आराजी के पैतृक होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किए है साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता व खातेदार धन्नाराम के समस्त वारिसान को न तो पक्षकार संयोजित किया है तथा न ही प्रार्थीगण द्वारा दस्तावेजो से यह स्पष्ट किया है कि वादग्रस्त आराजी में वास्तव में उनका कितना हक हिस्सा निहित है? लिहाजा प्रथम दृष्टया मामला संदेह से परे प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होना नही माना जा सकता। अतः यह बिन्दू प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति :- :- चुंकि पूर्व निर्णित बिन्दू संख्या 1 प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित हुआ है साथ ही प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार नही है बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह सिद्ध हो कि वादग्रस्त आराजी का वर्तमान सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में किस रूप में एवं किस सीमा तक निहित है। साथ ही प्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे है कि उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो उन्हे किस प्रकार से अपूर्णीय क्षति संभावित है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है तथा खसरा संख्या 107 की आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित आराजी है। अतः उक्त दोनो बिन्दू प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किए जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया विफल रहा हैं, अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-::आदेश::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित नही होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 31/05/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)